भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 4363
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 अगस्त, 2014/17 श्रावण, 1936 (शक) को दिया गया)

कारपोरेट निधियां

4363. प्रो. सौगत राय :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च प्रबंधन/प्रवर्तक (प्रोमोटर्स) देश में कारपोरेट धोखाधड़ी में लिप्त पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में दर्ज कारपोरेट धोखाधड़ी में पंजीकृत मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)

(क) से (ग) : कारपोरेट धोखाधड़ी जैसे अपराधों का पता चलने पर शिकायतों की जांच जरूरी होती है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में 01.04.2014 से 30.06.2014 के दौरान, मंत्रालय ने कथित कारपोरेट धोखाधड़ी के लिए 152 कंपनियों के संबंध में मंत्रालय के गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 235 और धारा 237 के अंतर्गत जांच के आदेश दिए हैं। ये मामले प्रोमोटर/निदेशकों द्वारा कंपनी का पैसा

बेइमानी से निकालने/उसके अन्यत्र उपयोग, लेखाबही व अन्य रिकार्डों में हेराफेरी और जनता से पैसा इकट्ठा करने

....2/-

के लिए कंपनियों द्वारा स्कीमें चलाकर धोखाधड़ी करने आदि से संबंधित हैं। वर्ष-वार ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

वर्ष	**कंपनियों की संख्या जिनके विरूद्ध जांच के आदेश दिए गए**
2011-12	13
2012-13	43
2013-14	93
2014-15 (30.06.2014 तक)	03
योग	**152**

(घ) : सरकार ने कारपोरेट धोखाधड़ी को रोकने और उससे निपटने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ये इस प्रकार हैं :-

- कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिक प्रकटीकरण मानक ताकि निवेशकों को कंपनियों से सभी प्रासंगिक सूचना मिल सके;
- कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत "धोखाधड़ी" को पहली बार बड़े अपराध के रूप में परिभाषित किया गया और इसमें बहुत से संदेहास्पद क्रियाकलापों, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अलग से कवर नहीं होते, को शामिल किया गया;
- कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को पर्याप्त शक्तियों के साथ सांविधिक दर्जा दिया गया है;
- कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत परिसंपत्तियों की जब्ती और वापसी के लिए प्रावधान किए गए हैं;
- लेखापरीक्षकों की रोटेशन आदि जैसे प्रावधानों के माध्यम से लेखापरीक्षकों की जवाबदेही तथा स्वतंत्रता बढ़ाना। इससे लेखापरीक्षा में निष्पक्षता आएगी और निवेशकों को बेहतर जानकारी मिलेगी।
- मंत्रालय द्वारा निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष (आईईपीएफ) के तत्वाधान में विभिन्न नगरों में तीन व्यावसायिक संस्थानों - भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई), भारतीय

लागत लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) के सहयोग से नियमित रूप से निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। ये कार्यक्रम निवेशकों में जागरूकता उत्पन्न करने तथा उनके सशक्तीकरण के लिए चलाए जाते हैं। वर्ष 2012-13 से कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक एंटिटी सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसिज इंडिया लि. के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने शुरू किए हैं। वर्ष 2013-14 के दौरान आईईपीएफ के अंतर्गत ऐसे 2897 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

*****